

53281/2022

53281/2022

**प्रेषक,** **६/८/२२**  
 (वाई० एस० राहरा)  
**मुख्य सचिव,**  
**उत्तराखण्ड शासन।**

**सेवा में,**

समस्त जिलाधिकारी,  
 उत्तराखण्ड।

**सूचना अनुभाग**

**विषय :- स्वतन्त्रता दिवस समारोह-2022 के आयोजन संबंधी दिशा निर्देश।  
 महोदय,**

आप अवगत हैं कि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, त्याग और बलिदान का स्मरण कराने वाले स्वाधीनता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ का समारोह इस वर्ष परम्परागत रूप से 15 अगस्त, 2022 को मनाया जायेगा। इस समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा, विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार तथा तत्समय प्रचलित कोविड-19 दिशानिर्देशानुसार न्यून संशोधन के प्रतिबंधाधीन, निम्नवत् होगी : -

**क. सरकारी एवं गैर सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण :****1. - प्रदेश मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण**

- प्रदेश मुख्यालय पर स्थित राज्य सचिवालय में ध्वजारोहण मुख्य सचिव द्वारा प्रातः 9:00 बजे।
- जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून में प्रातः 9:00 बजे जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
- सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।
- परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किये जायेंगे। तदनुसार समारोह में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रातः 10:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

**2. राज्य के अन्य जनपदों में ध्वजारोहण**

सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

देहरादून के अतिरिक्त राज्य के अन्य जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

(कार्यवाही-समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त जिलाधिकारी / सचिवालय प्रशासन)

**ख. राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन :**

- (i) परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिसके अन्तर्गत प्रातः 10:00 बजे मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। पुलिस बैण्ड के द्वारा राष्ट्रीयगान सहित पुलिस, अर्धसैनिक बल, (एस.डी.आर.एफ. सुविधा से उपलब्ध होने पर), प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड, एन०सी०सी० कैडेट्स, स्काउट गार्ड के द्वारा परेड व सलामी के कार्यक्रम सम्पन्न होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन एवं समन्वय हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी तथा सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर आवश्यक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना विभाग / जिलाधिकारी, देहरादून)

- (ii) उक्त समारोह हेतु आमंत्रितजनों की संख्या तत्समय की कोविड-19 की स्थिति अनुसार





- च. उक्त के अतिरिक्त विगत वर्षों के भाँति निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
- मा. मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की जनता को सन्देश हेतु समस्त विभागों द्वारा विलंबतम् 05 अगस्त, 2022 तक सूचनायें सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(कार्यवाही—समस्त विभाग)

- विगत वर्षों की भाँति उक्त दिवस में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई की जायेगी। इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही 10 अगस्त, 2022 तक गृह विभाग द्वारा पूर्ण कर ली जायेगी। इस सम्बंध में भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही—सचिव, गृह विभाग)

- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण के दौरान Flag Code Of India, 2002 के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

(कार्यवाही—समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं समस्त जिलाधिकारी)

- स्वाधीनता समारोह के आयोजन में प्लास्टिक से बनी विभिन्न सामग्रियों का कम से कम प्रयोग किया जायेगा।

कार्यवाही—समस्त विभाग/समस्त जिलाधिकारी)

छ . स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कार्यक्रमों द्वारा और सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों/संदेशों के माध्यम से “आजादी के अमृत महोत्सव” विषय को उपयुक्त रूप से जनसमुदाय के बीच प्रचारित और प्रसारित किया जाय। भारत के लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करते हुए स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव उल्लासपूर्वक मनाया जाये। इस अवसर पर सम्बोधनों के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय एवं अन्य जनपदों में स्वतंत्रता आन्दोलनों से सम्बंधित संरसरणों को बड़ी रक्कीन/डिजीटल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान एवं सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

प्रदेश मुख्यालय एवं अन्य जनपदों में इंटर स्कूल/इंटर कालेज बहस, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/देशभक्ति निबंध लेखन और कविता प्रतियोगितायें, महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ देशभक्ति गीतों का गायन, बालक/बालिकाओं द्वारा देशभक्ति के विषयों पर संबोधन/देशभक्ति के गीत गाना, एन.एस.एस. और एन.वाई.के.एस द्वारा देश भक्ति तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित समझी जाने वाली स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम किये जा सकते हैं यथा देशभक्ति/राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित संदशों/गीतों का प्रचार, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की प्रकाश व्यवस्था/साउंड शो, छतों/बालकनी में लोगों द्वारा राष्ट्रीय झंडे लहराना, डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लाईव स्ट्रीमिंग इत्यादि।

हर घर तिरंगा/घर घर तिरंगा के दृष्टिगत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने आवास पर तिरंगा फहराये जाने तथा अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की जाती है।

(कार्यवाही—सचिव शिक्षा विभाग/सूचना विभाग तथा सूचना प्रोद्योगिकी समस्त जिलाधिकारी)

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की पृष्ठभूमि में सभी विभाग निर्धारित सामान्य कार्यक्रम रूपरेखा के अन्तर्गत, समारोह को सफल बनाने हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh  
Sandhu

Date: 28-07-2022 16:32:25  
(डा० एस०एस० संधु)

मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2— सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3— समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा० मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
- 4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6— समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी।
- 7— मेयर, नगर निगम, देहरादून/समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
- 8— महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 10— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 11— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 12— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13— महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी., सीमाद्वार, देहरादून।
- 14— सब एरिया कमाण्डर, हेडक्वार्टर्स, देहरादून।
- 15— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 16— मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।
- 17— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 18— एन.आई.सी., सचिवालय।
- 19— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Abhinav Kumar

Date: 01-08-2022 12:33:31

(अभिनव कुमार)  
विशेष प्रमुख सचिव



कार्यालय प्रमुख अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'ख' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



*Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand*

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-eicpwduk @ nic.in Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पृष्ठांकित पत्र सं.- १४४ / 227व्यख-सा०/2022

दिनांक 10/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, के संज्ञानार्थ।
- 2- मुख्य अभियन्ता मुख्यालय (अधिष्ठान/नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 3- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०.....।
- 4- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I / II / III / IV, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, 11वां० वि/याँ० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वां वृत्त लो०नि०वि०.....।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- 8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 11- समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 12- लेखा/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 13- प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- 14- समस्त वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
व्यवस्थापन ख वर्ग